

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक ११/स्टेनो/2026

दिनांक 08.05.2026

विविध आदेश

08.05.2026

न्यायालय श्री पन्ना नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा के न्यायालय से प्राप्त पत्र क्र०-131/26 दिनांक 07.05.2026 अनुसार दण्डिक प्रक्र०क्र०-1872/17 शासन विरुद्ध मो० अकरम उर्फ फैजल खां वगै० अंतर्गत धारा-498 भादसं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से उद्भूत प्रकरण उनके न्यायालय में लंबित है, जिसके विचारण का क्षेत्राधिकार महिलाओं से संबंधित होने से महिला न्यायालय में अंतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण को श्री पन्ना नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय से आहरित कर उसके विधिवत विचारण एवं निराकरण हेतु श्रीमती सृष्टि चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।



(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. न्यायालय श्री पन्ना नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. न्यायालय श्रीमती सृष्टि चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 3. जू०सि०ए०/डी०एस०ए० कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)